सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 10.09.2023

युवक का अपहरण कर हत्या करने वाली 01अभियुक्ता सहित कुल 04 अभियुक्तों को मात्र 12 घण्टे में इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी रोशनी पत्नी प्रमोद राजपूत निवासिनी ग्राम नौगवाँ थाना चित्राहात जनपद आगरा द्वारा थाना सिविल लाइन पर सूचना दी गयी कि उसके पति प्रमोद राजपूत को उसका जीजा पप्पू उर्फ गन्धर्व राजपूत एवं अन्य साथियों द्वारा षडयन्त्र रचकर हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण कर लिया है, सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 211/2023 धारा 364 भादवि पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन से पुलिस टीम का गठन किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियो की रोकथाम एवं हत्या की घटनाओं के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 10.09.2023 को थाना सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि जिला अस्पताल से युवक का अपहरण करने वाले अभियुक्तगण जाईलो कार में लखेरे कुँआ नहर पुल पर खड़े हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा **01 अभियुक्ता सहित कुल 04 अभियुक्तों को लखेरे कुँआ नहर पुल के पास से समय 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पुलिस टीम द्वारा अपहृत युवक के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रमोद राजपूत ने नरोत्तम सिंह की पुत्री से प्रेम विवाह कर लिया था जिससे समाज में हम लोगों की बहुत बेज्जती हुयी है इसी बात का बदला लेने के उद्देश्य से हम लोगों द्वारा षडयन्त्र रचकर प्रमोद का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है तथा शव को नगला श्याम सुन्दर के पास छिपा दिया था। अभियुक्तों की निशादेही पर पुलिस टीम द्वारा मृतक प्रमोद उपरोक्त के शव को बरामद किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 211/2023 धारा 364 भादवि में धारा 302/201/120 बी भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. **गन्धर्व उर्फ पप्पू पुत्र ईश्वरी प्रसाद निवासी अण्डावली थाना बलरई जनपद इटावा उम्र 35 वर्ष।**
2. **मुकेश कुमार पुत्र गयाप्रसाद निवासी नौगवाँ थाना चित्राहाट जनपद आगरा उम्र 28 वर्ष।**
3. **नरोत्तम सिंह पुत्र दिवारीलाल निवासी नौगवाँ थाना चित्राहाट जनपद आगरा उम्र 60 वर्ष।**
4. **आरती पत्नी गन्धर्व उर्फ पप्पू निवासी अण्डावली थाना बलरई जनपद इटावा उम्र 35 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 211/2023 धारा 364/302/201/120 बी भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इटावा

बरामदगीः-

1. **01 गमछा (गला दबाने में प्रयुक्त)**
2. **01 जाईलों कार (घटना में प्रयुक्त)**

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन इटावा, उ0नि0 अरिमर्दन सिंह, का0 आशीष कुमार , हे0का0 राजीव कुमार, का0 मोहित कुमार, का0 रंजीत।